[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 10/2018- केंद्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 02 फरवरी, 2018

सा.का.नि. (अ).-- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 4) के खंड 110, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, और वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के भीतर आने वाले और

(क) नूमालीगढ़ रिफाइनरी ; या

(ख) बोंगईगांव रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ; या

(ग) इंडियन ऑयल कारपोरेशन, गुवाहाटी ; या

(घ) असम ऑयल डिवीजन, इंडियन ऑयल कारपोरेशन, डिग्बोई,

द्वारा स्पष्टीकृत मालों को उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक शुल्क के 50% की दर पर प्रगणित रकम के आधिक्य पर, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन उद्ग्रहणीय नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक ऐसे अधिक उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्र. सं.	शुल्क	अधिनियम
(1)	(2)	(3)
1.	उत्पाद शुल्क	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची

2.	अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर)	वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 4) का खंड 110
3.	विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 की उपधारा (1) के साथ पठित उक्त वित्त अधिनियम की आठवीं अनुसूची और अधिसूचना सं. 28/2002-उत्पाद शुल्क, तारीख 13 मई, 2002

स्पष्टीकरण - शंकाओं के निवारण के लिए, यह घोषणा की जाती है कि अधिसूचना के अधीन छूट उपरोक्त मालों पर भी उपलब्ध होगी, यदि ऐसे मालों को उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क के संदाय के बिना बान्ड के अधीन उपरोक्त खंड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट किन्हीं रिफाइनरियों से भंडागार के लिए हटाया जाता है और तत्पश्चात् उक्त भंडागार से ऐसे शुल्कों के 50% के संदाय किए जाने पर हटाया जाता है ।

[फा.सं. 334/4/2018-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार